सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 766 राँची, सोमवार 6 अगस्त, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

26 फरवरी, 2018

संख्या-5/आरोप-1-60/2015 का०-191 (HRMS)-- श्री चन्द्र किशोर मंडल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-483/03), तत्कालीन उप विकास आयुक्त, धनबाद, संप्रति-बंदोबस्त पदाधिकारी, राँची के विरुद्ध पेय जल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3141 दिनांक 28 जुलाई, 2015 द्वारा इनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने हेतु पत्र उपलब्ध कराया गया ।

Sr.No.	Employee Name/GPF No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	CHANDRA KISHORE MANDAL BHR/BAS/1520	श्री चन्द्र किशोर मण्डल, झा०प्र०से० (कोटी क्रमांक-483/03), तत्कालीन उप विकास आयुक्त, धनबाद, सम्प्रति-बंदोबस्त पदाधिकारी, रांची के विरुद्ध 'निंदन' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

पेयजल स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा उल्लेख किया गया कि माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी, श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता एवं श्री राज कुमार यादव द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 12 मार्च, 2015 को सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था । उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में वर्णित तथ्यों की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की माँग उप विकास आयुक्त, धनबाद से की गयी । उप विकास आयुक्त के पत्रांक-278/वि०, दिनांक 18 मार्च, 2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जो संभवतः निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह-नियंत्री पदाधिकारी के दायित्व के अनुरूप नहीं है, क्योंकि सरकारी राशि जिस योजना के लिए स्वीकृत है, व्यय भी उसी योजना में किया जाना नियमानुकूल है । लेकिन उप विकास आयुक्त द्वारा इसे नजरअंदाज किया गया, जिसे अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, धनबाद के द्वारा अपने प्रतिवेदन में इसे विचलन माना गया है ।

पेयजल स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त आरोप तथा साक्ष्यों के आधार पर श्री मंडल के विरूद्ध विभाग स्तर पर प्रपत्र 'क' गठित किया गया, जिसमें निम्नवत आरोप प्रतिवेदित है-

आरोप सं०-1- पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल संख्या-1, धनबाद के कार्यपालक अभियंता, श्री संजय कुमार द्वारा वर्ष 2014-15 की विधायक निधि के तहत् 39.205 लाख रुपये की पेयजलापूर्ति "निरसा प्रखण्ड में जलापूर्ति विस्तार योजना‘‘ का कार्य निविदा कर कराया गया, परन्तु उक्त राशि में से कुल 16.00 लाख रूपये उचित संवेदक को भुगतान नहीं करके इनके द्वारा राशि अन्य योजनाओं पेयजलापूर्ति विभाग की संचालित योजनाओं के Capital Maintenance में हस्तांतरण कर दिया गया, जो सरकारी राशि का विचलन है । श्री मंडल ने जाँचोपरान्त पत्रांक-278/वि०, दिनांक 18 मार्च, 2015 द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया हैं कि ग्रामीण विकास विभाग के विधायक निधि में जमा शीर्ष (Deposit Head) की राशि का विचलन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की शहरी जलापूर्ति योजना मे किया गया है, जो अस्थायी विचलन है । उप विकास आयुक्त द्वारा दिया गया प्रतिवेदन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह-नियंत्री पदाधिकारी के दायित्व के अनुरूप नहीं है, क्योंकि सरकारी राशि जिस योजना के लिए स्वीकृत है, व्यय भी उसी योजना में किया जाना नियमानुकूल है, लेकिन उप विकास आयुक्त द्वारा इसे नजरअंदाज किया गया ।

आरोप सं०- 2- उप विकास आयुक्त द्वारा दिया गया प्रतिवेदन वित्त नियमावली के नियम-10 एवं 11, वित्त विभाग के पत्रांक-71, दिनांक 9 जनवरी, 2002 तथा 179, दिनांक 3 अगस्त, 2014 के प्रतिकूल है ।

उक्त आरोपो हेतु श्री मंडल से विभागीय पत्रांक-2954, दिनांक 7 अप्रैल, 2016 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी । इसके अनुपालन में श्री मंडल के पत्रांक-7/गो०, दिनांक 2 मई, 2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । इनके स्पष्टीकरण विभागीय पत्रांक-4391, दिनांक 25 मई, 2016 द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गयी तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया ।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5706, दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 द्वारा श्री मंडल के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराते हुए इनके विरूद्ध समुचित कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी ।

श्री मंडल के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं० 34 (HRMS), दिनांक 1 जून, 2017 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत भा०प्र०से०, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

श्री मंडल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर पत्रांक-279, दिनांक 20 सितम्बर, 2017 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में अंकित किया गया कि आरोपी के द्वारा अपने प्रतिवेदन में 'नियमतः अस्थायी विचलन' शब्द का प्रयोग किया जाना समुचित नहीं प्रतीत होता है ।

श्री मंडल के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव बयान तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन-सह-मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि श्री मंडल द्वारा अस्थायी विचलन कहकर श्री संजय कुमार, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल सं०-1, धनबाद को बचाने का प्रयास किया तथा इन्हें दंडित करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव समर्पित नहीं किया गया, अतः इस मामले में श्री मंडल के विरूद्ध लापरवाही निश्चित तौर पर परिलक्षित होती है ।

समीक्षोपरांत उक्त लापरवाही के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 14(i) के तहत के श्री मंडल के विरूद्ध निन्दन का दण्ड प्रस्तावित किया गया । उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-12672, दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 द्वारा श्री मंडल से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री मंडल के पत्रांक 3, दिनांक 10 जनवरी, 2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया ।

श्री मंडल द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि इनके द्वारा ऐसा कोई नया तथ्य नहीं दिया गया, जिसके आधार पर प्रस्तावित दण्ड में कोई संशोधन किया जा सके ।

अतः श्री चन्द्र किशोर मंडल, झा०प्र०से०, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, धनबाद, सम्प्रति बन्दोबस्त पदाधिकारी, राँची द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i), के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या : BHR/BAS/2502

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 766 -- 50